

क्रमांक:प.16(1)वि.मा./2024

जयपुर, दिनांक 29 अगस्त, 2025

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ 4(2)(1)नपा/रानिआ/2025/2778 दिनांक 12.08.2025 द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में रिक्त हुए नगरीय निकायों के पदों पर संलग्न सूची अनुसार उप-चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। नगरीय निकायों के रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव के मतदान की तिथि 03.09.2025 (बुधवार) को घोषित की गई है।

इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान के उक्त नगर निकायों में (संलग्न सूची अनुसार) मतदान की तिथि 03.09.2025 (बुधवार) को मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) 1881 के अन्तर्गत अवकाश रहेगा ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(हरीश लड्डा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2025/3040

दिनांक:- 01/09/2025

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) भीलवाड़ा, जयपुर एवं टोंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अम्बा लाल मीणा)

उपसचिव